क्रम-संख्या–196(ख)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 7 अक्टूबर, 2021

आश्विन 15, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–10

संख्या 401/आठ-10–2021-05 गठन-2008

लखनऊ, 7 अक्टूबर, 2021

अधिसूचना

प०आ०–333

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा यथा पुनः अधिनियमित और संशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या 1053 / नौ–आवास-5–95-295डी0ए0-91, दिनांक 7 अप्रैल, 1995 में इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से निम्नलिखित संशोधन करती हैं।

संशोधन

(1) पूर्वोक्त अधिसूचना की अनुसूची में, –

(क) क्रम संख्या 130 की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात्:–

''ग्राम सितोली तहसील एत्मादपुर जिला आगरा।''

(ख) क्रम संख्या 210 और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी।

(ग) क्रम संख्या 213 की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगीः–

''घुड़िया टीकुर''।

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।

———————

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 401/VIII-10–2021-05Gathan-2008, dated October 7, 2021 :

No. 401/VIII-10–2021-05Gathan-2008

Dated Lucknow, October 7, 2021

IN exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act no. 11 of 1973) as re-enacted and amended by the Uttar Pradesh President's (Re-Enactment with modifications) Act, 1974 (U.P. Act no. 30 of 1974) *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following amendment in the Government notification no. 1053/IX-Awas-5–95-295D.A.-91, dated April 7, 1995, with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette.*

AMENDMENT

In the aforesaid notification, in the area of the Firozabad-Shikohabad Development Area :-

(1) after paragraph (3), the following paragraph shall be *substituted*, namely:-

Area falling within the limits of the Municipal Board Tundla and Municipal Board Sirsaganj Shall be included.

(2) In the schedule to the aforesaid notification,-

(a) for entries at serial number 130, the following entries shall be *substituted,* namely :-

"Village Sitoli tehsil Etmadpur District Agra."

(b) serial no. 210 and the entries relating thereto shall be *omitted*.

(c) for entries at serial number 213, the following entries shall be *substituted*, namely :-

"Ghudia Tikur".

By order,
DEEPAK KUMAR,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 349 राजपत्र–2021–(768)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 5 सा0 आवास एवं शहरी नियोजन–2021–(769)–100 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।